न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या
14 / 2019

तारीख दायरा
28 / 05 / 2019

तारीख फैसला
25/06/2025

1. जगन्नाथ पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. नाथुलाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गीताबाई पत्नि मदनलाल (पुर्व विधवा हेमराज पुत्र माधोलाल) जाति मीणा निवासी बडा तहसील बाराँ जिला बाराँ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

1. वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री इन्द्रजीत मीणा एड0
2. प्रतिवादीकम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड0

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 25/06/25

वादीगण द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बोरदा के माल मे जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की खाता संख्या 24 मे खसरा संख्या 495 रकबा 2.75है. भूमि स्थित है। जिसे आगे वादपत्र मे विवादित भूमि सम्बोधित किया गया। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का पुर्व पति हेमराज सगे भाई है। पक्षकारों का पारिवारिक वंशवृक्ष एवम् प्रास्थिति निम्नवत् है :–

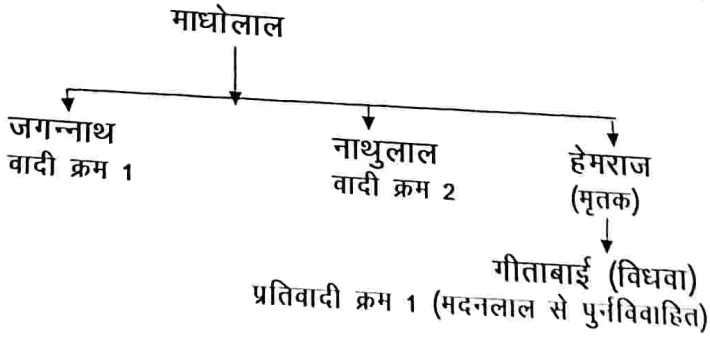

इस प्रकार विवादित भूमि के पूर्व मूल खातेदार श्री माधोलाल थे। माधोलाल के 3 पुत्र जगन्नाथ, नाथुलाल, हेमराज थे। हेमराज की मृत्यु

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

निःसंतान अवस्था मे हो गई थी। हेमराज के मरणोपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा मदनलाल मीणा निवासी बडाँ तहसील व जिला बाराँ (राज.) से पुनर्विवाह कर वादीगण व उनके कुटुम्ब से सम्बन्ध समाप्त कर लिया गया। हेमराज के निः संतान देहावसान के उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा मदनलाल से पुनर्विवाह कर लेने के कारण वादीगण ही केवल मात्र हेमराज के नैसर्गिक उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे है। विवादित भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 का कभी भी कोई स्वामित्व अथवा आधिपत्य आदि नही रहा है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे अवैध एवम् अधिकारातीत तरीके से हेमराज के मरणोपरांत विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम दर्ज कर दिया जबकि विवादित भूमि मे वादीगण का समभाग से हित निहित है तथा शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी क्रम 1 के नाम का अंकन वादीगण के हितो के विरूद्ध प्रारम्भतः ही शुन्य व प्रभावहीन है। विवादित भूमि का राजस्व भी वादीगण द्वारा ही अदा किया जाता रहा है। हेमराज के मरने के बाद से ही प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बोरदा मे निवास नही किया गया, और न ही वह विवादित भूमि पर कभी काविज काश्त ही रही है। इस वर्ष माह अप्रेल मे प्रतिवादी क्रम 1 ने विवादित भूमि पर आकर वादीगण को धमकी दी कि वह विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे उसके नाम के अँकन का अनुचित लाभ उठाकर उसे अन्यत्र व्ययनित कर खुर्द – बुर्द कर देगी। राजस्व अधिकारियो द्वारा विधि व तथ्यों की अवहेलना एवम् अनदेखी करते हुऐ बिना प्रोपर जाँच किऐ, अवैध एवम् अधिकारातीत तरीके से विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम दर्ज कर दिया गया। क्योंकि पक्षकारो पर हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नही होता हैं वरन् पक्षकार मीणा जाति के सदस्य होने से शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके अनुसार "पुनर्विवाह के उपरान्त विधवा को पुर्व पति की संपदा मे कोई हित शेष नही रहता हैं।" इसलियें प्रतिवादी क्रम 1 का विवादित भूमि में कोई हक नही बनता हैं। विवादित भुमि पर प्रतिवादी क्रम 1 का कोई कब्जा काश्त भी नही है। इस प्रकार से प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा राजस्व अभिलेख मे किया गया प्रतिवादी क्रम 1 के नाम का अंकन वादी के हितो के विरूद्ध शून्य एवम् प्रभावहीन है। हेमराज के निःसंतान देहावसान के उपरान्त वादीगण ही केवल मात्र उनके नैसर्गिक उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमि के विरासतन काबिज खातेदार कृषक हो चुके है जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण विधिक अधिाकारी है। तदर्थ वाद प्रस्तुत है। वाद कारण प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा माह अप्रेल' 2019 के प्रथम सप्ताह मे विवादित भूमि पर स्वयं की खातेदारी का अनुचित लाभ उठा कर उसे अन्यत्र खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद में तहसीलदार पीपल्दा भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार है। उनसे कोई विशेष अनुतोष वांछित नही है। वाद नियत न्याय–शुल्क 1/– पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षैत्राधिकार प्रान्त है। अन्त मे निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित विवादित भूमि मे प्रतिवादी क्रम 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किया जावें। प्रतिवादी क्रम 1 को

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि मे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा वह विवादित भूमि को अन्यत्र हस्तानान्तिरित नही करें एवम् उसे खुर्द–बुर्द नही करें। दौराने वाद यदि प्रतिवादी क्रम 1 विवादित भूमि को राजस्व अभिलेख के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर अन्यत्र हस्तानान्तिरित करनें मे सफल हो जावें तो उसा हस्तानांतरण को वादीगण के हितो के विरूद्ध शून्य एवम् प्रभावहीन घोषित किया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलवी गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों मे निवेदन किया गया कि उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी मे अपने पति की मृत्यु उपरान्त फौती नामान्तरकरण से प्राप्त हुई है तथा उक्त नामान्तरकरण को आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने चेलेन्ज करके अवैध करार नही किया है और प्रतिवादनी किसी व्यक्ति की पत्नि बताना या कई किसी के साथ रहना तथा वह कैसे जीवन बिताती है केसे अपना भरण–पौषण करती है। उसके जीवन चरित्र पर वादीगणो का किसी भी प्रकार किसी भी कानुन मे कोई अधिकार नही बनता तथा उक्त आराजी मे खसरा नम्बर 495 रकबा 2.75है., नहरी प्रथम जो सेटलमेन्ट के पूर्व भी रेवेन्यु रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रतिवादनी के पति हेमराज के प्रथक खातेदारी मे विभाजन होके प्राप्त हुई थी जो जमाबन्दी संवत् 2041–60 के रिकार्ड मे भी पृथक खातेदारी मे थी और पृथक खातेदारी से प्रतिवादनी को प्राप्त हुई है और एक बार खातेदारी पृथक होने के बाद से भूमि पैतृक नही कही जा सकती है तथा प्रतिवादीनी क्रम 1 हेमराज कि प्रथम वर्ग कि मात्र वारिस है। प्रतिवादीनी एक हिन्दु परीवार से थी और एक हिन्दुपरीवार में ही सप्त पदी से एवं हिन्दु रिती रिवाजों के अनुसार उसकी शादी उसके पति हेमराज के साथ हुई थी जिन पर हिन्दु होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु होता है उक्त वाद में यह तक नहीं बताया कि मेरा खातेदारी अधिकार कब बना और कब खत्म हो गया जिससे वादीगण मालीक है प्रतिवादीनी कम 1 नामान्तकरण खुलने कि दिनांक से ऑन रेकार्डेड खातेदार थी और आज भी है। उक्त विवादित आराजी का उत्तराधिकारी कौन होगा इसका अधिकार सिविल न्यायालय को है रेवेन्यु कोर्ट को नही है तथा जो भी उत्तराधिकारी होगा एक व्यक्ति होगा तथा हिन्दु रिती निती के तहत एक व्यक्ति को पगडी रस्म अदा करके उत्तराधिकारी बनाया जाता है अगर दूर के रिस्ते में पचास व्यक्ति है तो उनको सभी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता है जबकी यहा तो पूर्व नियोजित योजना के तहत दो व्यक्ति एक राय होकर जमीन हडपने पर आमादा है। उक्त आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से लोन लेकर गिरवी रखा हुआ है जो वादीनी का अधिकार था तब ही तो बैंक ने लोन दिया है।

अन्त मे निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार करने की कृपा करे। वादपत्र एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनीकीयात कायम की गई

1. आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्वविवाह करने के उपरान्त वाद पत्र

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि के खातेदार घोषित होने योग्य है।

—जिम्मे वादी

2. आया वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 के विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

—जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 व हेमराज पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागु होता है।

—जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

4. आया विवादित आराजी के उत्तराधिकार को तय करने का अधिकार रेवेन्यू कोर्ट को प्राप्त नही है।

—जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

5. अनुतोष

वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी मे मौखिक साक्ष्य मे स्वयं वादी जगन्नाथ पीडब्लू 1, भोदरीलाल पीडब्लू 2, परमानन्द पीडब्लू 3, महावीर पीडब्लू 4, के शपथ पत्र साक्ष्य वादी प्रस्तुत किये जिन से प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की गई वादी द्वारा दस्तावेज साक्ष्य मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम बोरदा खाता संख्या 24 प्रदर्श पी 1 है। नकल नक्शा ग्राम बोरदा खसरा संख्या 495 प्रदर्श पी 2 है। नकल जमाचंदी सम्वत् 2030 से 2033 ग्राम बोरदा खाता संख्या 82 प्रदर्श पी 3 है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बोरदा प्रदर्श पी 4 है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2060 ग्राम बोरदा खाता संख्या 149 प्रदर्श पी 5 है। नकल नामान्तरण संख्या 83 ग्राम बोरदा प्रदर्श पी 6 है। तस्दीक कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ा जिला बारा प्रदर्श पी 7 है। तस्दीक कार्यालय ग्राम पंचायत बोरदा प्रदर्श पी 8 है। जॉब कार्ड मुखिया मदनलाल प्रदर्श पी 9 है। मतदाता सुची विधानसभा क्षेत्र अंता ग्राम बढ़ा भाग संख्या 221 प्रदर्श पी 10 है। नकल राशन कार्ड एपीएल प्रदर्श पी 11 है। प्रदर्शित करवाये गये।

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई अन्ततः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस अन्तिम सुनी गई वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दौराते हुये दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा दावा खारिज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेज साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्यो का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो से तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है।

1. आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्वविवाह करने के उपरान्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि के खातेदार घोषित होने योग्य है

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रतिवादी क्रम 1 का पति हेमराज तथा वादीगण आपस मे सगे भाई रहे है। तथा हेमराज की मृत्यु निस्तान अवस्था मे हो गई थी। तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा हेमराज के मरने के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ने मदनलाल मीणा

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

निवासी बडाँ तहसील व जिला बाराँ (राज.) से पुनर्विवाह कर लिया। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 मीना जनजाति के सदस्य है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार मीना जनजाति के सदस्यो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु नही होता है। मीना जनजाति के सदस्य पुराने हिन्दू कानून से गर्वन होते है। इस सम्बन्ध मे वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त गूलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निर्णय दिनांक 1/02/2006 इस मामले के तथ्यो पर पूर्णतया चस्पा होता है जिसके अनुसार the widow after remarriage is not having and right over the land belonging to the husband and the married daughter is also not having any right over the ancestral property of the father. इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा मदनलाल से पूर्नविवाह करने के पश्चात् उसको हेमराज के खाते की भूमि मे उत्तराधिकार प्राप्त नही हो सकता है। चुँकि हेमराज की मृत्यु निःसतान हुई है। इसलिए हेमराज के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण है। इस प्रकार वादीगण इस तनकी को सिद्व करने मे सफल हुये है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती है।

2. आया वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 के विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से विवादित भूमि वादीगण के ही कब्जे काश्त मे होना जाहिर हुआ है तथा तनकी संख्या 1 के विवेचन से वादीगण विवादित भूमि के खातेदार घोषित होने के अधिकारी होने से यह तनकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 व हेमराज पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागु होता है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर है। प्रतिवादी क्रम 1 को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार मीना जनजाति के सदस्यो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु नही होता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बहक वादीगण तय की जाती है।

4. आया विवादित आराजी के उत्तराधिकार को तय करने का अधिकार रेवेन्यू कोर्ट को प्राप्त नही है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर है। प्रतिवादी क्रम 1 को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई तथा धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार खातेदारो के निर्वसियती उत्तराधिकार उनके व्यक्तिगत कानुन के अनुसार तय करने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बहक वादीगण तय की जाती है।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

5. अनुतोष

अतः सम्पर्णू विवेचन से दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खसरा संख्या 495 रकबा 2.75है. भूमि मे प्रतिवादी क्रम 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे वादीगण का हिस्सा समभाग से इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया निषेधित किया जाता है कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि मे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नही करे तथा वह विवादित भूमि को अन्यत्र हस्तानान्तिरित नही करें एवम् उसे खुर्द–बुर्द नही करें। डिक्री जारी हो

निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Ramniwas

~~उपखण्ड अधिकारी~~

इटावा, जिला कोटा